

प्रस्तावना

टिन से पैनधारक को अपना वार्षिक कर विवरण (फॉर्म 26एएफ) ऑनलाइन देखने में सहायता मिलती है. फॉर्म 26एएफ में निम्नलिखित विवरण होते हैं:

- कटौतीकर्ता द्वारा करदाता की ओर से काटे गये कर का विवरण
- संग्रहणकर्ता द्वारा करदाता की ओर से संग्रह किये गये कर का विवरण
- करदाताओं (पैनधारकों) द्वारा जमा किये गये अग्रिम कर / स्व-निर्धारण कर / नियमित निर्धारण कर आदि.

कर जमा देखने के लिए कदम

1. पैनधारक द्वारा पैन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
2. टिन सहायता केन्द्र द्वारा पहचान का सत्यापन तथा प्राधिकरण
3. कर जमा ऑनलाइन देखना